राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 21970 दिनांक :– 15/11/17

आयुक्त, नगर निगम समस्त
आयुक्त, नगर परिषद समस्त
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषयः– राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों/की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य सरकार के चार वर्ष आगामी 13 दिसम्बर को पूर्ण होने जा रहे है। इस अवसर पर विभाग की और से कि जाने वाली कार्यवाही अन्तर्गत सभी स्कूलो में 8 से 13 दिसम्बर 2017 के मध्य मे स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। जिसमें प्रमुख्तयाः निम्न गतिविधियां करवायी जा सकेगी।

1. स्कूल परिसर में स्थित शौचालयों में साफ–सफाई तथा पानी की व्यवस्था
2. स्कूल परिसर में स्थित शौचालयों के सैफ्टीक टेंक/शोकपिट को खाली करने की व्यवस्था
3. स्कूल परिसर में सामान्य साफ–सफाई (general cleanliness)
4. स्कूल परिसर कें आस–पास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था
5. स्कूल परिसर में उत्पन्न होने वाले गीले कचरे (एक दिवस मे सौ किलो से अधिक) का कम्पोस्ट खाद बनाकर स्कूल परिसर में उसका उपयोग
6. सभी विद्यालयों में सक्रिय स्वच्छता समितियां।
   - स्कूलो मे स्वच्छता कमेटी हेतु प्रधानाध्यापकों से संपर्क कर Cleanliness hygiene हेतु Students कें बीच Awareness बनाना।
   - स्वच्छ कमेटी के रोल एंव Responsibilities का निर्धारण
   - स्कूलो मे मासिक Cleanliness audit करवाकर स्वच्छता कमेटी के कियाकलापें का आकलंन
   - स्वच्छता कमेटी की audit को स्थानीय प्रिंट मीडिया मे प्रसारण एवं अच्छे कार्य करने वाली स्कूल का मिडिया मे प्रचार
7. आसपास के गांवो मे सिटी कम्पोस्ट को बढावा देने के लिए जागरूकता ड्राइव एंव प्रदर्शन, निकाय क्षेत्र मे 100 किमी की परिधि मे आने वाले किसानो द्वारा कम्पोस्ट खाद को उपयोग लेने एवं कम्पोस्ट खाद को खरीदने हेतु प्रोगाम बनाकर किसानों को प्रेरित करना।

अतः आप कृपया उपरोक्तानुसार अपने–अपने निकाय के स्कूलों में दिनांक 8 दिसम्बर से 13 दिसम्बर, 2017 तक स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से सांमजस्य कर आवश्यक कार्यवाही संपादित करावें तथा की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें। साथ ही इस दौरान की गई गतिविधियों को विभागीय बेवसाइट तथा स्वच्छ भारत मिशन की बेवसाइट पर अपलोड करावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 21971 – 22023 दिनांक :– 15/11/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
8. जिला कलेक्टर समस्त।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
11. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
12. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
13. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता